सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा क्षमता निर्माण, गुणता नियंत्रण, परामर्शी सेवाएं तथा अनुसंधान

(I) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा क्षमता निर्माण

स्कीम का उप-घटक:

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों के बीच उनकी हकदारी तथा शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी योजना स्कीम के इस घटक के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों को उनकी हकदारी तथा शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के इस घटक का मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी, कुशल, सतत धारणीय तथा गहन जागरूकता अभियान प्रारंभ करना है जिसका प्रभाव शहरी के साथ-साथ ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्र तक पहुंच सके।

राज्य सरकार इस अभियान में होने वाले व्यय का 20% राशि का वहन करती है तथा शेष 80% राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा राशि दो किस्तों में जारी की जाती है।

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुदान सहायता के रूप में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता।

इस स्कीम का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों में जागरूकता पैदा करना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निधियां जारी की जाती हैं।

(iii) क्षमता निर्माण

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) - मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान

इस योजना के तहत लक्षित लाभभोगियों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन करने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण से संबंधित मूल्यांकन अध्ययन कराए जाते हैं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) - प्रशिक्षण

इस योजना का उद्देश्य राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, उपभोक्ता सहकारी समितियों आदि जैसी राज्य एजेंसियों में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा इससे संबंधित नीतिगत मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्याख्यान, सेमिनार तथा कार्यशालाएं चलाकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण और कार्यान्वयन में लगे कार्मिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाना और उसका उन्नयन करना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए उचित दर दुकानों के मालिकों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण/शहरी सतर्कता समितियों के सदस्यों एवं भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियां को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम

भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारतीय खाद्य निगम के महत्वपूर्ण कार्मिकों और भारतीय खाद्य निगम अथवा अन्य एजेंसी के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि द्वारा नामित मास्टर ट्रेनर्स को इस संबंध में जागरूक बनाया जा सके।

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2012-13	2.05	1.55	0.8075
2013-14	2.10	1.1303	0.9474
2014-15	2.50	1.5043	0.8510
2015-16	1.65	1.40	0.5221 (जनवरी, 2016 तक)

(II) परामर्श, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

स्कीम का उप-घटक:

(i) खाद्यान्नों के लिए घरेलू/वैश्विक बाजारों में अनुसंधान/मानीटरिंग हेतु परामर्श

यह योजना स्कीम: परामर्शी सेवाएं, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का एक घटक है जिसे वर्ष 2007 से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के नीति-1 अनुभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम को यह कार्य सौंपा गया है कि वह बाजार आसूचना प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से एक परामर्शदाता नियुक्त करें जो नियमित मूल्य स्थिति और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में संभावित वृद्धि की पूर्व चेतावनी दे सके जो नीतिगत निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है। योजना के इस घटक का उद्देश्य बाजार आसूचना प्रणाली स्थापित करना है जो नियमित मूल्य स्थिति और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में संभावित वृद्धि की पूर्व चेतावनी देश के जो कि नीतिगत उपायों तथा खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की बाजार संबंधी आसूचना खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेलों के लिए आयात-निर्यात नीति के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण है। अध्ययन के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्टों में गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों का आवधिक मूल्य डाटा मुहैया कराया जाता है।

(ii) ई-गवर्नेंस

कर्मचारियों, नागरिकों और विभाग के बीच बेहतर तथा सार्थक सम्पर्क बनाए रखने के लिए और कार्य को कागजों के बजाय इलेक्ट्रानिक प्रणालियों में निपटाने के उद्देश्य से विभाग इंटरनेट जैसे आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके ई-गवर्नेंस को कार्यान्वित करने में गहन रुचि ले रहा है ताकि विभिन्न सरकारी गतिविधियां चलाई जा सकें।

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2012-13	1.20	0.72	0.3359
2013-14	0.70	0.3122	0.3029

2014-15	1.50	1.65	1.4277
2015-16	0.85	0.85	0.1799 (जनवरी, 2016 तक)

(III) गुण-नियंत्रण तंत्र का सुदृढ़ीकरण

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एस एंड आर प्रभाग के अंतर्गत 'गुण-नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने' संबंधी एक नई योजना स्कीम का प्रस्ताव किया गया था जिसमें 7 नए गुण-नियंत्रण प्रकोष्ठों की स्थापना करने, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (आईजीएमआरआई), हापुड़ में प्रयोगशाला का उन्नयन और आईजीएमआरआई, हापुड़ में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना परिकल्पित हैं। इस स्कीम को स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् सितंबर, 2013 से प्रचालन में लाया गया है।

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2012-13	1.00	0.00	0.00
2013-14	2.00	1.2823	1.2669
2014-15	5.00	3.50	2.7193
2015-16	5.00	3.50	2.273* (जनवरी, 2016 तक)

* प्राधिकार सहित

(IV) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य खाद्य आयोगों हेतु गैर-भवन परिसंपत्तियों के लिए सहायता

लोगों को गरिमामय जीवन जीने के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर उन्हें मानव जीवन चक्र में खाद्यान्न और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिनांक 10 सितंबर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अधिसूचित किया है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा के लिए एक अधिसूचना द्वारा एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई राज्य विशेष रूप से एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करने का निर्णय लेता है तो केन्द्रीय सरकार उस राज्य खाद्य आयोग के लिए गैर-भवन परिसंपत्तियों हेतु एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तदनुसार विभाग कि अम्ब्रेला स्कीम "पीडीएस का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, परामर्श तथा अनुसंधान" के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नया घटक अर्थात "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य खाद्य आयोगों हेतु गैर-भवन परिसंपत्तियों के लिए सहायता" शामिल किया गया है।

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2012-13	2.00	0.001	0.00
2013-14	0.002	0.00	0.00
2014-15	1.00	0.20	0.00
2015-16	2.00	0.75	0.00 (जनवरी, 2016 तक)